

- (i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (I), में सा.का.नि. संख्यांक 994 (अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 18/2017 – केंद्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017;
- (ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (I), में सा.का.नि. संख्यांक 1414 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 58/2017 – केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017;
- (iii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (I), में सा.का.नि. संख्यांक 296 (अ), तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 18/2018 – केंद्रीय कर, तारीख 28 मार्च, 2018; और
- (iv) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (I), में सा.का.नि. संख्यांक 759 (अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 32/2018 – केंद्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018,

को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त 1.5 करोड़ रुपयों से अधिक है, जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 मास के लिए 31 अक्तूबर, 2018 तक और अक्तूबर, 2018 से मार्च, 2019 के लिए, उत्तरवर्ती माह के 11वें दिन तक, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विस्तार करता है :

परंतु ऐसे करदाताओं के लिए जिन्होंने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 742 (अ), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 31/2018 – केंद्रीय कर, तारीख 6 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का 31 दिसंबर, 2018 तक विस्तार किया जाएगा।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा(1), के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

No. 44/2018 – Central Tax

G.S.R. 855(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supercession of –

- (i) Notification No. 18/2017 – Central Tax dated 8th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 994 (E), dated the 8th August, 2017;
- (ii) Notification No. 58/2017 – Central Tax dated 15th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1414 (E), dated the 15th November, 2017;
- (iii) Notification No. 18/2018 – Central Tax dated 28th March, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 296 (E), dated the 28th March, 2018; and
- (iv) Notification No. 32/2018 – Central Tax dated 10th August, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 759 (E), dated the 10th August, 2018,

except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate

turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for the months from July, 2017 to September, 2018 till the 31st day of October, 2018 and for the months from October, 2018 to March, 2019 till the eleventh day of the succeeding month:

Provided that the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for the months from July, 2017 to November, 2018 for the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. 31/2018 – Central Tax dated 6th August, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 742 (E), dated the 6th August, 2018, shall be extended till the 31st day of December, 2018.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2018

सं. 45 /2018 -- केंद्रीय कर

सा.का.नि. 856(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर,

- (i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 997(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 21/2017-केंद्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017; और
- (ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1412(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं 56/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017;

निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने सा.का.नि.संख्यांक 742(अ) तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं 31/2018-केन्द्रीय कर तारीख 6 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ब** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसंबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।”।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पण: 1. मूल अधिसूचना संख्यांक 21/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 997(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

2. मूल अधिसूचना संख्यांक 56/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1412(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।